(b) what are the different schemes in operation to give effect to the policy in this rgard; and

(c) what are the results achieved so far with special reference to Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): "(a) The Central Government has been pursuing a policy of supplementing the efforts of industrialisation by the State Governments in backward areas by providing infra-structural facilities for industrial development .

(b) For promoting industrialisation of backward areas, the Government have announced a Scheme of Growth Centres. These Growth Centres would be endowed with basic infras-frastructural facilities in respect of power, water, telecommunication and banking to attract industries in these areas. The Government is also operating a Transport Subsidy Scheme applicable to certain hilly, remote and inaccessible areas of the country.

(e) In so far as Madhya Pradesh is concerned, the State has been allocated six growth centres under the Growth Centre Scheme and the locations of these centres are Borai in Durg district, Chainpura in Guna district, Ghirongi in Bhind district Kheda in Dhar District, Satlapur in Raisen district and Siltara in Raipur district. The project reports in respect of the growth centres at Borai, Chainpura, Ghirongi, Kheda and Si1-tara have been approved and the State Government have started implementing the projects approved. An amount of Rs. 8.00 crores has been released to the State Government towards Central Assistance under the Scheme.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्रबन्ध निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही

1549. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी उपक्रम के प्रबंध निदेशक के गलत कार्यों के संबंध में उसके विरुद्ध कार्यवाही करते संबंधी नियमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशकों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है तथा वे किन-किन उपक्रमों में कार्यरत थे और उन्हें दिए गए दण्ड का ब्यौरा य है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) सरकारी उद्यमों के प्रबंध निदेशक सम्बद्ध उद्यमों के आचार, अनुशासन एवं अपील नियमावली द्वारा शासित होते हैं ; बहरहाल, सरकारी उद्यमों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य करने वाले किसी अन्य संगठित संवर्ग के कार्यपालकों को उनके मूल संवर्ग में लागू आचार नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

लघु उद्योग को प्रदान किए गए ऋण

1550. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष दिल्ली प्रशासन द्वारा लघु उद्योगों को कुल कितनी धनराशि ऋणस्वरूप दी गई थी ; और

(ख) इसमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए ऋण की धनराशि कितनी-कितनी थी ?

लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन): (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, वर्ष 1991-92 के दौरान लघु उद्योगों को 3141.38 लाख रु० की राशि मंजूर/स्वीकृत की गयी थी।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित ऋण की राशि में से 7.992 लाख रु० अनुसूचित जातियों/अनु० जन जातियों के व्यक्तियों को तथा 483.824 लाख रु० अल्पसंख्यक समुदायों को मंजूर की गयी थी।

ऋणों के लिए नीति

1551. श्री विनोद शर्मा: क्या प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि सरकार लघु उद्योगों के लिए अलग से एक नीति की घोषणा करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) क्या इस बारे में सरकार ने राज्यों के प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार विचार-विमर्श के बाद लघु उद्योगों संबंधी नीति का कोई मसौदा तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार लघु उद्योगों संबंधी नीति की घोषणा कब तक कर देगी?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आर्थिक संकट

1552. श्री विनोद शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1992 के "स्टेटसमैन" में "कंड क्राइसिस हिट पी. एस. यूज" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि आर्थिक संकट का सामना कर रहे होने के कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास उद्योगों को बंद करने का ही विकल्प शेष रह गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अभी तक किसी नीति की घोषणा न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार इसके संबंध में नीति की घोषणा कब तक करेगी?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्यम विभिन्न कारणों से घाटा उठाते आ रहे हैं। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनर्रुद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजना बनाने के लिये सरकारी क्षेत्र के 54 उद्यम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को भेजे जाने योग्य हैं। यदि हम रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के तहत रुग्णता के लिए निर्धारित वही प्राचल अपनाते हैं तो अन्य 13 उद्यमों को भी रुग्ण माना जा सकता है हालांकि वे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपे जाने योग्य नहीं हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के लिये सम्बद्ध प्रबन्धकों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा पुनरुद्धार/पुनर्स्थापन, आमूलचूल परिवर्तन करने संबंधी योजनाओं का प्रस्ताव किया जाना है। फिलहाल सरकारी क्षेत्र के किसी